

**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर**  
 क्रमांक: एफ. 14( )2018/सीकर रोडस/एफसीए/प्रमुखसं/  
 मुख्य वन संरक्षक,  
 जयपुर।

दिनांक

विषय:- Diversion of 0.4027 Hect. Area for construction of missing link B.T. Road from " Ganeshwar to Raju ki Guwar via salawali (K.M. 0/0 to KM 6/500)" in Forest Block Ganwari P.F. Range Neemkathana, Village Ganeshwar, Tehsil-Neem ka thana. Distt. Sikar (Raj) in favour of Executive Engineer, P.W.D. Neem ka thana. (PROPOSAL NO. FP/RJ/ROAD/32988/2018)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्रांक प. 1(22)वन/2019 दिनांक 07.02.2021 (प्रति संलग्न) से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत construction of missing link B.T. Road from " Ganeshwar to Raju ki Guwar via salawali (K.M. 0/0 to KM 6/500)" in Forest Block Ganwari P.F. Range Neemkathana, Village Ganeshwar, Tehsil-Neem ka thana. Distt. Sikar हेतु 0.4027 हैं वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं विना वृक्षों का पातन हेतु कुछ शर्ताधीन विधिवत खीकृति प्रदान की है। शर्तों की पालना सुनिश्चित करने के उपरांत प्रकरण में संबंधित विभाग/संरक्षा को वनभूमि के उपयोग की अनुमति दे दी जावें। साथ ही मोनेटरिंग रिपोर्ट भिजवायी जावें।

1. राज्य सरकार के उक्त पत्र में अंकित समर्त शर्तों की कड़ाई से पालना की जावें।
2. मुख्य वन संरक्षक स्तर पर राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों की पालना का प्रबोधन निरंतर किया जावें।
3. मुख्य वन संरक्षक के क्षेत्र से संबंधित समर्त खीकृतियों का पृथक से एक रजिस्टर संधारित किया जावें।
4. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशिका के अनुसार मोनिटरिंग हेतु मुख्य वन संरक्षक एवं उप वन संरक्षकगणों के मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं जो इस कार्यालय के पत्रांक एफ 14 ( )2013 /एफसीए/प्रमुखसं/सीए/1456-1577 दि. 23.5.17 से आपको भिजवाये गये हैं, जिसकी पालना भी सुनिश्चित की जावें।

संलग्न: उक्तानुसार।

भवदीय,

३०

( वेंकटेश शर्मा )

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
 प्रोटेक्शन एंव नोडल अधिकारी एफसीए,  
 राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ. 14( )2018/सीकर रोडस/एफसीए/प्रमुखसं/ 1288-1204, दिनांक 15-4-21  
 प्रतिलिपि:-निम्नांकित को राज्य सरकार के उक्त पत्र की प्रति सहित सूचनार्थ एवं अवश्यक कायवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर कैम्प कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
  2. शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक प. 1(22)वन/2019 दिनांक 07.02.2021 के क्रम में।
  3. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (आईटी.), अरण्य भवन, जयपुर को राज्य सरकार, वन विभाग, जयपुर के आदेश दिनांक 22.01.2021(प्रति संलग्न) को राज्य वन विभाग की घेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
  4. उप वन संरक्षक, सीकर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त के साथ-साथ खीकृति के सम्बन्ध में निम्न निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित करें:-
- (i) मण्डल से संबंधित समर्त प्राप्त खीकृतियों के सम्बन्ध में पृथक से एक रजिस्टर में सूचना संधारित की जावे।
5. अधिशाणी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड नीमकाथाना (सीकर)।

संलग्न: उक्तानुसार।

५१-

( भवानी रिंह )

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)

अरण्य भवन, जयपुर

Proposed

५ अक्टूबर 2021

राजस्थान राजकार  
वन विभाग

जामार दिनांक 07.02.2021

क्रमांक प 1 (22) वन / 2019

प्रधान मुख्य वन सलाहक (H.O.F.I.)

राजस्थान जयपुर ।

**विषय:**— Diversion of 0.4027 ha. Area for construction of missing link B.T. road from "Ganeswar to Raju ki Guwar Via salwali (K.M. ) 0/0 to K.M. 6/500" in forest block Ganwari P.F. Range Neem Ka thana, Villahe Ganeswar, Tehsil-Neemkathana District Sikarin favour of Executive Engineer, P.W.D.

Neemkathana.

A  
✓  
7/4/21 DCF(fca) सदर्भ:—आपका पत्रांक ए 1402018/सीकर/एफसीए/प्रमुखस/3708 दिनांक  
18.12.2020 अॅन लाईन Proposal No FP/RJ/ROAD/32988/2018

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड निमकाथाना सीकर द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में गणेश्वर से राजू की गुवार वाया सालायाली राडक किमी 0/0 तक 6/500 के निर्माण कार्य हेतु कुल 0.4027 हैक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई थी। इस कम में इस कार्यालय के समसरख्यक पत्र दिनांक 26.06.2019 द्वारा प्रसारित सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुसरण में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम, राजस्थान के 14 ( )2018/सीकर/एफसीए/प्रमुखस/3708 दिनांक 18.12.2020 द्वारा अनुपालना प्रेषित कर विधिवत स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा की गयी है।

973

5/4/21

प्रेषित अनुपालना पर विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति वावत् जारी दिशा निर्देशों की पालना में Diversion of 0.4027 ha. Area for construction of missing link B.T. road from " Ganeswar to Raju ki Guwar Via salwali (K.M. ) 0/0 to K.M. 6/500" in forest block Ganwari P.F. Range Neem Ka thana, Villahe Ganeswar, Tehsil-Neemkathana District Sikarin favour of Executive Engineer, P.W.D. Neemkathana की विधिवत स्वीकृति बिना किसी वृक्ष के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है:-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दोरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षों वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।

15%

6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिटटी/पथर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
9. राज्य सरकार द्वारा दी गई उक्त अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
10. सैद्धांतिक स्वीकृति दिनांक 26.06.2019 में वर्णित शर्तों की सभी सम्बन्धित द्वारा पूर्ण पालना सुनिश्चित की जायेगी।
11. नोडल अधिकारी (वन संरक्षण) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारीख को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करे।
12. प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त की अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।


भवदीय,

— / —

( बी. प्रवीण )  
शासन सचिव

तिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अपर वन महानिदेशक-वन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003
2. अतिथि प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्यक्षेत्र), पंचम तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, मध्यनऊ-226024।
3. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस और इस प्रकार के अन्य प्रकरणों में जारी की गई स्वीकृतियों की मासिक सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रेषित की जावे।
4. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर।
5. उप वन संरक्षक, सीकर।
6. अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नीम का थाना, सीकर।
7. रक्षित पत्रावली।

  
( शुभम जैन )  
विशेषाधिकारी, वन